

Indian Electricity Rules, 1956-All rules excluding Chapter III, IX, X and Annexure I to VII and X to XII. Madhya Pradesh Cinemas (Regulations) Rules, 1972-Chapter four, Rules 72, 77, 78(3), 80, 81, 82 and 85.

Indian Standards

IS : 3043-1987	Code of Practice for earthing.
IS : 1646-1982	Code of Practice for fire safety of industrial buildings, electrical generating and distributing stations.
IS : 900-1965	Code of Practice for installation and maintenance of induction motors.
IS : 10028-1981, 1982 and 1985 (all parts)	Code of Practice for selection, installation and maintenance of transformers.
IS : 1866-1983	Code of Practice for maintenance and supervision of insulating oil service.
IS : 732-1982 and 1985 (all parts)	Code of Practice for electrical wiring installations.
IS : 10118-1982	Code of Practice for selection, installation and maintenance of switchgear and control gear.
IS : 5572-1978	Classification of hazardous area (other than mines) for electrical installations.
IS : 5571-1979	Guide for selection of electrical equipment for hazardous area.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आई. सी. जैन, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2004

क्र. 4300-तेरह-2004.—इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का सं. 36) की धारा 180 के साथ पठित धारा 126 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम

मध्यप्रदेश विद्युत् (अनंतिम निर्धारण आदेश की तामील), नियम, 2004 है.

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 (2003 का संख्यांक 36);

(ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(ग) "अनुज्ञापिधारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिस अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञापि मंजूर की गई हो.

3. विद्युत् के अनाधिकृत उपयोग के अनंतिम निर्धारण के आदेश को तामील करने की रीति.—(1) इस अधिनियम की धारा 126 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किया गया अनंतिम निर्धारण आदेश उस व्यक्ति पर जो विद्युत् का अनाधिकृत उपयोग करने में लिप्त है, या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति पर जिसने ऐसे उपयोग से लाभ लिया है या ऐसे परिसरों या स्थानों के अधिभोगी या कब्जा रखने वाले पर, निरीक्षण की तारीख से 5 दिन के भीतर तामील किया जाएगा.

(2) अनंतिम निर्धारण आदेश इन नियमों से संलग्न प्ररूप में तामील किया जाएगा.

(3) यदि ऐसे निरीक्षण किए परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो जिसे अनंतिम निर्धारण आदेश को तामिली युक्तियुक्त तत्परता से की जा सके या यदि कोई व्यक्ति ऐसे आदेश को प्राप्त करने से इन्कार करता है या उसे प्राप्त करने से बचता है तो उस आदेश को निरीक्षण किए गए परिसर में दो साक्षियों की उपस्थिति में चप्सा किया जाएगा, और ऐसे मामले में इस प्रभाव का पृष्ठांकन ऐसे आदेश की प्रति में किया जाएगा.

इस प्रकार चप्सा किया गया निर्धारण आदेश ऊपर उपनियम (1) में उल्लिखित व्यक्ति या व्यक्तियों पर सम्यक् रूप से तामिल कर दिया गया समझा जाएगा.

(4) ऐसा व्यक्ति जिस पर अनंतिम आदेश की तामिल की जा चुकी है, ऐसे अनंतिम आदेश के प्राप्त होने से, सात दिन के भीतर अपनी आपत्तियां या स्वीकृति फाइल कर सकेगा.

4. प्ररूप का भरा जाना.—इन नियमों में उल्लिखित प्ररूप तीन प्रतियों में भरे जाएंगे तथा द्विसंख्यांक कार्बन का उपयोग करते हुए भरे जाएंगे.

5. पदाभिहित निर्धारण अधिकारी.—इस अधिनियम की

अधिन अनंतिम निर्धारण के प्रयोजन के लिये
नमिलिखित अधिकारी निर्धारण अधिकारी होंगे :—

पॉवर तक समस्त निम्नदाब (लो-टेशन) संयोजन
नष्ट यंत्रों से अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी;

पॉवर से अधिक समस्त निम्नदाब (लो-टेशन)
हेतु सहायक यंत्रों से अनिम्न श्रेणी का कोई
री;

उच्च दाब (हाई टेशन) संयोजन हेतु कार्यपालन
अनिम्न श्रेणी का कोई अधिकारी.

प्ररूप

[नियम 3(2) देखिए]

अनंतिम निर्धारण का आदेश

तारीख

प्रयोजन (यदि कोई हों)
भोक्ता संयोजन क्रमांक:

रदि कोई हो :

सम्प्रेषण (दाब का
अधिकृत उपयोग को
रते हुए).

अंगीकृत किए गए आधार
शीनों के कार्य के घंटों का
क्रमांक तथा निर्धारण की
ते हुए संपूर्ण ब्यौरे) :

6 के आधार पर संगणना :

वी विवरण :

यों में (शब्दों तथा अंकों में) :

यतः आपके परिसर में विद्युत् के अनाधिकृत उपयोग के मामले का
पता चला है तथा ऐसे उपयोग के लिए रुपए की रकम
निर्धारित की गई है, आपको, एतद्वारा, अनंतिम निर्धारण आदेश की
तामील की जाती है, यदि आप यह निर्धारण स्वीकार करते हैं तो आपसे
अपेक्षा की जाती है कि इस आदेश की तामील के सात दिन के भीतर
निर्धारित रकम जमा कराएँ.

कृपया ध्यान दें, कि आपके द्वारा अनंतिम निर्धारण के आदेश को
स्वीकार करने की दशा में आप किसी भी अतिरिक्त दायित्व या किसी
भी प्राधिकारी द्वारा किसी कार्रवाई के अध्यधीन नहीं होंगे.

उपरोक्त निर्धारण में कोई आपत्ति होने की दशा में आप इस आदेश
की तामील की तारीख से सात दिन के भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकेंगे,
जिसमें असफल होने पर यह अनंतिम आदेश स्वतः अंतिम आदेश
हो जाएगा.

हस्ताक्षर

स्थान या परिसर पर
कब्जा रखने वाला व्यक्ति/
अधिभोगी का नाम

हस्ताक्षर

निर्धारण अधिकारी का

नाम

पदनाम

मुद्रा

अनंतिम निर्धारण आदेश की प्राप्ति से इन्कार करने की दशा
में पृष्ठांकन.

इन्कार करने की दशा में साक्षियों के हस्ताक्षर :

(1) हस्ताक्षर

नाम

पता

(2) हस्ताक्षर

नाम

पता

✓ No. 4300-XIII-2004.—In exercise of the powers
conferred by sub-section (2) of Section 126 read with
Section 180 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003)
the State Government hereby makes the following rules,
namely:—

RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules
may be called the Madhya Pradesh Electricity (Service of
Provisional Assessment Order) rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their
publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context
otherwise requires,—

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (No. 36
of 2003);

(b) "Form" means the Form appended to these rules;

(c) "Licensee" means a person who has been granted a licence under Section 14 of the Act.

3. Manner of Service of Provisional Assessment Order of Unauthorised use of Electricity.—(1) The provisional assessment order made by the assessing officer under Section 126 of the Act shall be served upon the person indulging in unauthorised use of electricity, any other person benefited by such use, the occupier or possessor of the premises or place within 5 days of the date of inspection.

(2) The order of provisional assessment shall be served in the form appended to these rules.

(3) If no person is available in the inspected premises to whom the provisional assessment order can be served with reasonable diligence or if any person refuses to accept or avoids to receive such order it shall be affixed at the inspected premises in the presence of two witnesses and in such case an endorsement to that effect shall be made in the copy of such order. An assessment order so affixed shall be deemed to have been duly served to the person or persons mentioned in sub-rule (1) above.

(4) The person to whom the provisional assessment order has been served upon may file his objections or acceptance within 7 days from the date of receipt of the provisional order.

4. Filling of Form.—The form mentioned in these rules shall be filled in triplicate and filled up by using dual carbon.

5. Designated assessing officers.—For the purpose of provisional assessment under Section 126 of the Act, the following officers of the licensee shall be the assessing officers,—

- (a) An officer not below the rank of Junior Engineer for all low-tension connection up to 15 horse power;
- (b) An officer not below the rank of Assistant Engineer for all low-tension connections of more than 15 horse power;
- (c) An officer not below the rank of Executive Engineer for all High-tension connections.

FORM

[See Rule 3 (2)]

Order of Provisional Assessment

No. Dated

1. Name :
2. Address :
3. Consumer connection number, along with purpose of connection (if any) :

4. Sanctioned load, if any :
5. Observations recorded (including details of load, unauthorized use, etc) :
6. Basis adopted for assessment (the complete details, giving applicable tariff, number of working hours of appliances, machines and period of assessment) :
7. Computation on the basis of item number 6 :
8. Statement regarding reasonability :
9. Total amount in rupees (in figure and words) :

To,

Shri

Address

Whereas a case of unauthorized use of electricity has been detected in your premises and an amount of Rs. has been assessed for such use, you are hereby served this order of provisional assessment. If you accept this assessment, you are required to deposit the assessed amount within seven days of service of this order:—

Please note that in case you accept the order of provisional assessment you shall not be subjected to any further liability or any action by any authority.

In case there is any objection to the above assessment, you may submit the same within 7 days from the date of service of this order failing which this provisional order shall become automatically final.

Signature

Name of person/
occupant/possessor
of the place or premises.

Signature

Name of assessing
officer
Designation
Seal.

Endorsement in case of refusal to receive order of provisional assessment.

Signature of witnesses in case of refusal.

(1) Signature

Name
Address

(2) Signature

Name
Address

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धीरज माथुर, सचिव.